भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +**1420**

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

झारखंड में पर्यटन अवसंरचना का विकास

+1420. श्री संजय सेठः

श्री सुनील कुमार सिंहः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में पर्यटन अवसंरचना विकसित करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में कुल कितने पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान झारखंड में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने विशेषकर झारखंड जैसे अपार पर्यटन संभावना वाले राज्यों में पर्यटन अवसरंचना विकसित करने के लिए कोई व्यापक रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): झारखंड में पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत निधियों के ब्यौरे निम्नवत हैं:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परिपथ/स्वीकृत वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
स्वदेश दर्शन योजना			
1.	इको 2018-19	दलमा, चांडिल, गेटलसूद, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, मिरचैया, नेतरहाट का विकास	52.72
प्रशाद योजना			
2.	2018-19	बाबा वैद्यनाथजी धाम, देवघर, झारखंड का विकास	39.13

योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा कोई धनराशि जारी नहीं की गई है । निधियों का वितरण निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तथा वर्क ऑर्डर को प्रस्तुत करने, निर्माण हेतु सामग्री, राज्य सरकार द्वारा जीएफसी सांविधिक अनुमोदन के साथ डीपीआर प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।

(ग): झारखंड में पिछले तीन वर्षों में विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) के ब्यौरे निम्नवत हैं:

वर्ष	एफटीवी
2015	1,**67,785**
2016	1,69,442
2017*	1,70,987

*अनंतिम

(घ): राज्य में पर्यटन अवसंरचना का विकास मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन तथा प्रशाद योजनाओं के अंतर्गत झारखंड सहित देश में पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत विकास हेतु परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से पहचानी जाती हैं तथा निधियों की उपलब्धता, संगत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन तथा पहले जारी निधियों के उपयोग की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं।

****